राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 732/2016/जयपुर
2. अपील संख्या 733/2016/जयपुर
3. अपील संख्या 734/2016/जयपुर
4. अपील संख्या 735/2016/जयपुर
5. अपील संख्या 736/2016/जयपुर

मैसर्स उज्जवल ग्रेनाईट प्रा0लि0,
डी–विला, स्टेशन रोड, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

6. अपील संख्या 1462/2016/जयपुर
7. अपील संख्या 1463/2016/जयपुर
8. अपील संख्या 1464/2016/जयपुर
9. अपील संख्या 1465/2016/जयपुर
10. अपील संख्या 1466/2016/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स उज्जवल ग्रेनाईट प्रा0लि0,
डी–विला, स्टेशन रोड, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री, मदन लाल मालवीय सदस्य

उपस्थित :
श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13.12.2017

निर्णय

1. अपील संख्या 732/2016, 733/2016, 734/2016, 735/2016 व 736/2016 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 1462/2016, 1463/2016, 1464/2016, 1465/2016 व 1466/2016 विभाग द्वारा प्रस्तुत दसों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 15 च 34ए के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.08.2015 के जरिये आरोपित प्रवेश कर एवं ब्याज की मांग राशियों को अपास्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया व शास्ति को अपास्त किया गया है, विभाग द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने एवं शास्ति को अपास्त करने के आदेश के विरूद्ध तथा व्यवहारी द्वारा कर एवं ब्याज पर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के विरूद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गई है, अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

अ.सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	क.नि.वर्ष	प्रवेश कर	ब्याज	शास्ति
732/16	261	09–10	79,992	59,194	–
733/16	262	10–11	6,23,482	3,86,559	–
734/16	263	11–12	12,65,701	6,32,850	–
735/16	264	12–13	9,13,294	3,47,052	–
736/16	265	13–14	3,24,766	84,432	–
1462/16	261	09–10	–	–	1,19,988
1463/16	262	10–11	–	–	9,35,223
1464/16	263	11–12	–	–	18,98,552
1465/16	264	12–13	–	–	13,69,941
1466/16	265	13–14	–	–	4,87,149

लगातार.....2

2. इन दसों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2014 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी ने आलौच्य अवधियों में Sintered Diamond Pearls Plastic Wire (Marble Cutting Tools) एवं डी.जी. सेट, Hydraulic Excavator एवं Explosives (Optimix Prilled Ammonium Nirate, Diesel Oil राज्य के बाहर से राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में मंगवाये गये है परन्तु इन पर नियमानुसार प्रवेश कर अदा नहीं किया गया। सशक्त अधिकारी के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2006–137 दिनांक 08.03.2006 के अनुसार Sintered Diamond Pearls Plastic Wire (Marble Cutting Tools) की खरीद पर 8 प्रतिशत से प्रवेश कर जमा कराना चाहिए था परन्तु अपीलार्थी द्वारा कर जमा नहीं किया गया है।। अतः अधिनियम की धारा 15(1)(2) व 34ए के तहत नोटिस जारी किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण समयावधि से संबंधित होने एवं व्यवहारी के उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा आदेश पारित करते हुए उपरोक्त तालिकानुसार मांग राशियां आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर, कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण सशक्त अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया एवं शास्ति के बिन्दु पर अपील स्वीकार की गई। जिसके विरूद्ध व्यवहारी व विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ग्रेनाईट माईन्स मे ग्रेनाईट का खनन करता है जिस हेतु अपीलार्थी द्वारा Sintered Diamond Pearls Plastic Wire राज्य के बाहर से कय की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रवेश कर संबंधी अधिसूचना संख्या 2006–137 दिनांक 08.03.2006 की प्रविष्टि संख्या 52 में मार्बल कटिंग टूल्स, गेंगसा, डाईमाण्ड बिट पर प्रवेश कर का दायित्व रखा गया है जबकि अपीलार्थी के द्वारा ग्रेनाईट कटिंग टूल्स का कय किया गया है। अपीलार्थी द्वारा खरीदे गये Diamond Pearls Plastic Wire जो कि ग्रेनाईट कटिंग टूल्स है, के द्वारा ग्रेनाईट की कटिंग की गई है जिसे राज्य सरकार ने प्रवेश कर के दायित्व हेतु अधिसूचित नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर केवल "मार्बल कटिंग टूल्स" पर ही प्रवेश कर का दायित्व रखा गया है जिसे ग्रेनाईट कटिंग टूल्स के आयात पर लागू नहीं किया जा सकता। कथन किया कि कर संबंधी अधिसूचनाओं में प्रयक्तु स्पष्ट शब्दावली का अलग से निर्वचन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा अपील स्तर पर Sintered Diamond Pearls Plastic Wire के विनिर्माता व्यवहारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्माता व्यवहारी ने Sintered Diamond Pearls Plastic Wire को ग्रेनाईट कटिंग टूल्स के रूप में ही अपीलार्थी को विकय किया है न कि मार्बल टूल्स के रूप में।

6. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त तथ्यों के अधीन अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की है, क्योंकि उक्त माल पर

लगातार.....3

कर देयता का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया, क्योंकि उस पर कर देयता नहीं थी अतः उक्त वस्तु पर प्रवेश कर देयता नहीं होने का आदेश करने की प्रार्थना की गई।

7. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषण करने के आदेश का विरोध करते हुए एवं शास्ति को अपास्त करने के विरूद्ध विभाग की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आयातित माल Sintered Diamond Pearls Plastic Wire अधिसूचना संख्या 2006–137 दिनांक 08.03.2006 की प्रविष्टि संख्या 52 के अंतर्गत मार्बल कटिंग टूल्स से संबंधित मानकर सशक्त अधिकारी द्वारा निर्वचित कर करारोपण किया गया।

इस प्रश्नगत विवाद से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2006–137 दिनांक 08.03.2006 की प्रविष्टि संख्या 52 निम्न प्रकार है :–

"52. Marble cutting tools, gangsaw, diamond bit 8%"

9. इस प्रकरण में विवादित माल "Sintered Diamond Pearls Plastic Wire" को उक्त प्रविष्टी में सम्मिलित होने के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह माल "Marble tools" के रूप में Marble इकाईयों में भी प्रयुक्त होता है अथवा नहीं। किसी वस्तु के कर दर हेतु वर्गीकरण में निश्चित रूप से अधिसूचना में दिए गए शब्दों से अन्यथा अभिप्राय ग्रहण करना उचित नही है, परन्तु किसी वस्तु के अन्यथा उपयोग के आधार पर भी कर दर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता यदि उस वस्तु की सामान्य एवं मूल प्रकृति कर दर की प्रविष्टी की प्रकृति हो।

10. इस प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आदेश एकपक्षीय होने एवं विवादित वस्तु के कर दर सम्बन्धी विवाद पर अपीलार्थी का पक्ष नहीं सुनने के आधार पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण समुचित सुनवाई कर, कर दर के विवाद पर स्पष्ट निर्णय हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसे अपीलार्थी एवं राजस्व, दोनों पक्षों की ओर से विवादित किया है।

11. अपीलीय अधिकारी के अपने निर्णय में उक्त माल के अधिसूचना की प्रविष्टी संख्या 52 में सम्मिलित होने सम्बन्धी विवाद पर सुनवाई का अवसर दिया जाने का निर्णय किया गया है, जिससे दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा कर दर के विवाद की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में शास्ति को अपास्त किया गया है वह भी न्यायसम्मत है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा समस्त संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों में घोषित किया हुआ था एवं कर देयता पर विवाद होने से एवं इस विचार के साथ कि उनके द्वारा क्रय किए गए माल ग्रेनाइट टूल्स है एवं उस पर कर देयता हेतु जारी अधिसूचना में स्पष्टतया नाम अंकित नहीं किया गया है, अतः उनके द्वारा कर अदा नहीं किया गया है। इस तरह दोनों कारणों से अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नही की है, अतः राजस्व की अपीलें शास्ति के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

12. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की बिना उचित सुनवाई के एकपक्षीय आदेश से प्रश्नगत माल पर प्रवेश कर का दायित्व मानकर प्रवेश कर आरोपित किया है उस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर देने का निर्णय लेते हुए पूर्ण निर्देश के साथ

लगातार.....4

प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है अतः कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिए जाते है कि वे अपील आदेश अनुसार प्रकरण में पुनः सुनवाई कर यह निर्णय करे कि विवादित वस्तु "मार्बल टूल्स" के रूप में भी प्रयुक्त होती है अथवा केवल ग्रेनाईट टूल्स ही हैं।

13. फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के आदेश की पुष्टि की जाती हैं, इसी तरह शास्ति को अपास्त करने के निर्णय की भी पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों की अपीलें अस्वीकार की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी शीघ्रता से समुचित सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करे।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल. जैन)
सदस्य